Send Email
Date 26/03/09
time 10:38

224

राजस्थान सरकार

कार्यालय शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं निदेशक, ईजीएस

क्रमांकः F 4(41) RE/RD/08-09 जयपुर,दिनांकः 26 MAR 2009

जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राजस्थान(समस्त)

महोदय,

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना की क्रियान्विति एवं उसमें तथाकथित हो रही अनियमितताओं के बारे में समय-समय पर समाचार-पत्रों में समाचार प्रकाशित होते रहते हैं, इन प्रकाशित शिकायतों पर त्वरित रूप से समुचित रूप से प्रभावी कार्यवाही करने एवं उसकी समीक्षा करने की वर्तमान कोई स्पष्ट प्रक्रिया नहीं है। इसके परिणाम स्वरूप एक ओर जहां राज्य सरकार की छवि पर विपरीत प्रभाव पड़ता है वहीं राजकीय धन का दुरूपयोग भी होता है। इस प्रकार के प्रकरणों में राज्य स्तर पर अधिक संवेदनशील एवं तत्परता बरतने की आवश्यकता है, ताकि समय पर कड़ी कार्यवाही की जा सके।

आज कल जिलों में प्रकाशित होने वाले समाचार-पत्रों के समाचारों में बड़ी भिन्नता होती है एवं स्थानीय स्तर के महत्वपूर्ण समाचारों को भी कई बार जयपुर से प्रकाशित होने वाले समाचार-पत्रों में स्थान नहीं मिल पाता है। अतः आपसे यह अपेक्षा है कि नरेगा से संबंधित राज्य स्तरीय समाचार-पत्रों में प्रकाशित समाचारों का अवलोकन करने हेतु एक नोडल अधिकारी को नियुक्त करे, जिसका यह दायित्व हो, कि जिले में हो रही कथित अनियमितताओं वाले समाचार पर संबंधित अधिकारी से तथ्यात्मक टिप्पणी प्राप्त कर निम्न हस्ताक्षरकर्ता को 24 घण्टे में फैक्स द्वारा प्रेषित करें।

भवदीय,

25/3

(राजेन्द्र भाणावत)
शासन सचिव,ग्रा.वि.
एवं
निदेशक, ईजीएस